

Office of the D. I. T. (E)

Exemption

Place :

Bombay

Dated :

14 /02/97

ROTARY CHARITY TRUST (MULUND)

(Name of the Trust / Institution)

C/o. Crescent Eng., 4, Anupam Indus.,  
Estate No. II, Off L.B.S. Marg,  
Mulund (W), Mumbai - 80.

(Full Address)

as constituted by the Trust Deed/Memorandum of Association Dated 25/09/96  
has filed the registration application Under Section 12-A (a) of the Income-tax Act,  
1961 in the prescribed form on 09/12/96 i. e. within the stipulated time  
limit/was out of time by \_\_\_\_\_.

As the Trust/Institution was prevented by sufficient cause in filing the appli-  
cation the delay has been condoned/

sufficient justification has not been given for the delay in filing the applica-  
tion and as such it is rejected/

2. The application has been entered at No. TR/32441 in the Register of  
Applications Under Section 12-A (a) maintained in this office.

Note : The registration by itself does not mean that on merits the benefits u/s 11  
are given.



(K. RAGHAVACHARY)  
For Director of Income-tax,  
(Exemption), Bombay.

Copy to: ADI(E)-I(1).

कार्यालय आयकर निर्देशक

स्थान :-

तारीख :-

छूट

बम्बई ।

(ट्रस्ट/संस्था का नाम)

(पूरा पता)

जो कि तारीख \_\_\_\_\_ के ट्रस्ट-विलेख/संघ के ज्ञापन के अनुसार गटित है, ने आयकर अधिनियम १९६१, की धारा १२-अ (अ) के अधीन विदित फार्म में तारीख \_\_\_\_\_ को यानी बांधी हुई समय-सीमा, के भीतर/समय से \_\_\_\_\_ दिन देर से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की अर्जी दाखिल की है ।

क्यों की यह ट्रस्ट/संस्था पर्याप्त कारण से अर्जी दाखिल न कर सकी, अतः देर को माफ किया गया है ।

अर्जी देर से दाखिल करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं दिखाया गया है, इसलिये यह अर्जी नामंजूर कर दी गई है ।

२. यह अर्जी, इस कार्यालय में रखे गये धारा १२-अ (अ) के अधीन अर्जियों के रजिस्टर में सं. \_\_\_\_\_ पर दर्ज की गई है ।

आ. क. आ.  
की  
मोहर

कृते आयकर निर्देशक (छूट)  
बम्बई